तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
21/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित तहसीलदार रिपोर्ट को बाबत जवाब पेश करने हेतु लिखा जावे पत्रावली दिनांक 26/5/25 को पेश हो। [signature]	
26/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित तहसील-दार रिपोर्ट के जवाब प्राप्त किये शा० मि० सुना। अधि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रा० वास्ते आदेश दिनांक 28/5/25 को पेश हो। [signature]	
28/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० प्रार्थी उपस्थित वाद पत्र वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० मि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः– 38/2016

1.कप्तानसिंह पुत्र जीवनलाल जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।

.........वादी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन।

.........प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

उपस्थिति

2. श्री दुलीचंद शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः–28.05.2025**

वादी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि नकल जमाबंदी संवत् 2070–2073 अनुसार आराजी खसरा नंबरान 3478/2145 रकबा 06बीघा 02 विस्वा, 3962/2152 रकबा 01बीघा 12बिस्वा मुन्दर्जे खाता संख्या 635 तथा ख0 नं0 885 रकबा 0.09 विस्वा मुन्दर्जे खाता संख्या 636 तथा ख0 नं0 884 रकबा 0.12विस्वा ख0 नं0 886 रकबा 0.05 विस्वा, 1668 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा मुन्दर्जे खाता संख्या 639 तथा ख0 नं0 902 रकबा 05 बीघा 18 बिस्वा, ख0 नं0 903 रकबा 0.06 विस्वा, 3510/2195 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा बाके ग्राम कुरका तहसील उच्चैन में स्थित है।356, 359, 355, 215 बाके ग्राम अंधियारी तहसील उच्चैन में स्थित है जो कि वादीगण को जरिये विरासत अपने पिता से प्राप्त हुई है। वादी के पिता जीवनलाल का स्वर्गवास वादी के बाबा निनुआ से पूर्व हो गया था। इसलिए वादी के बाबा के विरासत का दाखिल खारिज नामान्तरकरण सं 1004 दिनांक 10.02.1983 को दर्ज करते समय सहवन से वादीगण का नाम कप्तानसिंह की जगह भानसिंह गलत दर्ज हो गया था। जब वादीगण कृषि कार्य हेतु लोन हेतु आवेदन किया तो बैंक कर्मियों ने वादी के नाम की भिन्नता के कारण वादी का लोन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया एवं वादी को सभी खातों में एक ही नाम दर्ज करा लाने हेतु कहा। वादी ने पटवारी हल्का अंधियारी से वादी के नाम को सही करने की कहा तो पटवारी हल्का ने दिनांक 27.05.2016 को शुद्ध करन से स्पष्ट मना कर दिया और सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिसके कारण वादीगण ने यह वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने जबाव पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम कुरका में जमाबंदी सम्बत् 2070–2073 में खाता सं. 635 में वादी का नाम कप्तानसिंह के स्थान पर केवल कप्तान तथा पिता जीवनलाल के स्थान पर जीवनसिंह गलत दर्ज किया गया है। खाता संख्या 636 में वादी का नाम कप्तानसिंह तो सही दर्ज किया है परन्तु वादी के पिता का नाम जीवनलाल के स्थान

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

पर जीवनसिंह गलत दर्ज किया हुआ है। इसी प्रकार खाता संख्या 639 में भी वादी का नाम कप्तानसिंह सही दर्ज है परंतु पिता का नाम जीवनलाल के स्थान पर जीवनसिंह गलत दर्ज कर दिया गया है। खाता संख्या 637 में वादी का नाम कप्तानसिंह के स्थान पर मानसिंह पुत्र जीवनसिंह गलत दर्ज कर रखा है।जबकि वादी का नाम कप्तानसिंह व वादी के पिता का नाम जीवनलाल दर्ज होना चाहिए था। अभि0 वादी ने दिनांक 12.05.2025 को फॉर्म नंवर 03 के साथ अपने वादपत्र के समर्थन में कुछ दस्तावेज पेश किये। साक्ष्य वादी–01 अजीतसिंह पुत्र बलवीर सिंह जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर द्वारा शपथ पत्र पेश कर शपथपूर्वक बयान किया कि वह वादी व उसके पूर्वजों को भली–भांति जानता है। वादी के पिता जीवनलाल का स्वर्गवास वादी के बाबा निनुआ से पूर्व हो जाने के कारण वादी को उक्त आराजी बाबा निनुआ से विरासत में प्राप्त हुई। वादी का सही नाम कप्तानसिंह एवं वादी के पिता का सही नाम जीवनलाल है। साक्ष्य वादी–02 रामवीरसिंह पुत्र गिर्राज जाति जाटव निवासी कुरका तहसील उच्चैन द्वारा भी शपथ पत्र पेश कर शपथपूर्वक बयान किया कि वह वादी एवं उसके पूर्वजों को भली–भांति जानता है। वादी के पिता जीवनलाल का स्वर्गवास वादी के बाबा निनुआ से पूर्व हो जाने के कारण वादी को उक्त आराजी बाबा निनुआ से विरासत में प्राप्त हुई। वादी का सही नाम कप्तानसिंह एवं वादी के पिता का सही नाम जीवनलाल है। इसलिए साक्ष्य वादी 01, 02 अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम कप्तानसिंह के स्थान पर भानसिंह अथवा मानसिंह पुत्र जीवनलाल दर्ज कर दिया था जबकि वादी सही नाम कप्तानसिंह है। एवं वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में कई जगह जीवनलाल की जगह जीवनसिंह गलत दर्ज किया गया है। जबकि कप्तानसिंह के पिता का सही नाम जीवनलाल है। अतः वादी के राजस्व रिकार्ड में सही नाम कप्तानसिंह पुत्र जीवनलाल किया जाना न्यायोचित है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया की जमाबंदी 2070–2073 में खाता सं. 635 में वादी का नाम कप्तानसिंह के स्थान पर केवल कप्तान तथा पिता जीवनलाल के स्थान पर जीवनसिंह गलत दर्ज किया गया है। खाता संख्या 636 में वादी का नाम कप्तानसिंह तो सही दर्ज किया है परन्तु वादी के पिता का नाम जीवनलाल के स्थान पर जीवनसिंह गलत दर्ज किया हुआ है। इसी प्रकार खाता संख्या 639 में भी वादी का नाम कप्तानसिंह सही दर्ज है परंतु पिता का नाम जीवनलाल के स्थान पर जीवनसिंह गलत दर्ज कर दिया गया है। खाता संख्या 637 में वादी का नाम कप्तानसिंह के स्थान पर मानसिंह पुत्र जीवनसिंह गलत दर्ज कर रखा है।जबकि वादी का नाम कप्तानसिंह व वादी के पिता का नाम जीवनलाल दर्ज होना चाहिए था। वादी एवं वादी के पिता का सही नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वादपत्र, वादपत्र के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड, अध्ययन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं सरपंच ग्राम पंचायत कुरका की रिपोर्ट, साक्ष्यवादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड में वादी एवं

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

वादी के पिता के गलत नाम को कलमजन कर सही नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:अतः आदेश है:–

वाद पत्र वादीगण डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम कुरका तहसील उच्चैन की जमाबंदी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 635 में वादी /वादी के पिता का नाम कप्तान पुत्र जीवनसिंह को कलमजन कर कप्तानसिंह उर्फ कप्तान पुत्र जीवनलाल, खाता संख्या 636 व 639 में वादी के पिता का नाम जीवनसिंह कलमजन कर जीवनलाल उर्फ जीवनसिंह एवं खाता संख्या 637 में वादी का नाम मानसिंह पुत्र जीवनसिंह कलमजन कर वादी व वादी के पिता का सही नाम कप्तानसिंह उर्फ मानसिंह पुत्र जीवनलाल उर्फ जीवनसिंह राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)